बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–05 / स्था0–19 / 2014, परि0 पटना, दिनांक–

कार्यालय आदेश

परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1775, दिनांक–30.04.2007 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को मोटरयान निरीक्षक के कुल–59 पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों की अनुशंसा भेजने हेतु प्रेषित की गई थी। इसके आलोक में आयोग द्वारा विज्ञापन सं0–2607 / 2007 प्रकाशित की गई। आयोग द्वारा प्रथम चरण में सामान्य कोटि के मात्र 20 अभ्यर्थियों के चयन के फलस्वरूप अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों में से विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में मोटरयान निरीक्षक के शेष रिक्त 39 पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु आयोग के पत्रांक–1912, दिनांक–20.04.2012 एवं पत्रांक –2831, दिनांक–26.07.2012 द्वारा द्वितीय चरण में पुनः 26 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई। इसमें से मेधा क्रम में अंकित कतिपय अभ्यर्थियों की नियुक्ति मोटरयान निरीक्षक के पद पर की गई। अनुशंसित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर माननीय न्यायालय में CWJC No.-9376/2014 चन्द्र प्रकाश बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, CWJC No.-16780/2016 सत्येन्द्र नारायण मिश्र एवं अन्य बनाम बिहार राज्य तथा अन्य एवं CWJC No.-18602/2016 अरूण कुमार बनाम बिहार राज्य तथा अन्य मामले दाखिल किया गया। अनारक्षित वर्ग में एतदर्थ रिक्त पदों की उपलब्धता के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि अनारक्षित वर्ग में 3 पद रिक्त माने जा सकते हैं। इस पर विधि विभाग का भी परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श को सम्पुष्ट करते हुए परामर्श दिया गया कि विभागीय पत्रांक–1177, दिनांक–03.03.2016 द्वारा प्रारम्भ की गई नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है।

माननीय न्यायालय द्वारा CWJC No.-9376/2014, CWJC No.-16780/2016 एवं CWJC No.-18602/2016 में दिनांक–24.08.2018 को पारित आदेश, पूर्व में दिए गए विधि विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार,पटना द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में सामान्य वर्ग के तीन रिक्त पदों पर परिवहन विभाग के अधीन मोटरयान निरीक्षक के पद पर लेवल–6 (अपुनरीक्षित वेतनमान–9300–34800, ग्रेड पे–4200 / –) में स्वीकृत स्थायी पद के विरूद्ध परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से कॉलम–2 में अंकित अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि भविष्य में इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र जाली अथवा अवैध पाये जाने पर इनकी नियुक्ति तत्काल के प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उस परिस्थिति में उनके द्वारा किसी प्रकार के प्रतिकार का दावा मान्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	अयोग के मेधा सूची क्रमांक	अभ्यर्थियों की वास्तविक आरक्षण कोटि	कोटि जिसके तहत नियुक्त किया जा रहा है।
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री चन्द्र प्रकाश	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	05.10.1975	18	सामान्य	सामान्य
2	श्री सत्येन्द्र नारायण मिश्र	श्री फूलेना मिश्र	21.09.1967	19	सामान्य	सामान्य
3	श्री पंकज कुमार	श्री विपीन शंकर प्रसाद सिंह	20.01.1971	20	सामान्य	सामान्य

दिनांक–24.05.2019 से एक सप्ताह के अन्दर अथवा विशेष परिस्थिति में एक माह के अन्दर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। एक माह तक योगदान नहीं करने अथवा किसी प्रकार की सूचना अप्राप्त रहने की स्थिति में इनका दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3. क्रम सं0– 1 मे अकित अभ्यर्थी डिप्लोमा प्रमाण–पत्र के साथ मोटरयान निरीक्षक के पद पर विभाग मे योगदान समर्पित करेगे।

4. योगदान के समय इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. योगदान के बाद एक सप्ताह के अन्दर इन्हें असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. योगदान करने के उपरान्त इनका चरित्र का सत्यापन पुलिस द्वारा कराया जाएगा। चारित्रिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

7. योगदान के समय इनको दहेज संबंधी घोषण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

8. उक्त अभ्यर्थियों के लिए अलग से निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप आयोजित भारी वाहन चालन योग्यता जाँच में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। उक्त जाँच में भाग नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित करते हुए नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964, दिनांक–31.08.2005 एवं 768, दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. उक्त मोटरयान निरीक्षक को पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक विभागीय अधिनियमों/नियमावली एवं विभागीय अनुदेशों से अवगत कराने हेतु विभाग के स्तर से निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–05/स्था0–19/2014, परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–05/स्था0–19/2014, परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–05/स्था0–19/2014, परि0 2743 पटना, दिनांक– 18/5/19

प्रतिलिपिः– श्री चन्द्र प्रकाश, मो0–चान्दमारी एकौना, पो0–मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन कोड–840541/श्री सत्येन्द्र नारायण मिश्र, चन्द्रकांता निवास, बलुआ टाल, नियर कालू लॉज, मोतिहारी–845401/श्री पंकज कुमार, फ्लैट न0–103, सूर्या पैलेस बोरिंग रोड, पटना –800013/आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/19
राज्य परिवहन आयुक्त,